

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1510...../

जबलपुर, दिनांक 28/02/2023

श्री पुहप सिंह उइके, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को हार्ट एवं किडनी की समस्या होने के कारण चिकित्सीय आधार पर दिनांक 18.11.2022 से 21.11.2022 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 22.11.2022 से 31.12.2022 तक 40 दिन का आसाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) एवं दिनांक 01.01.2023 से 13.01.2023 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/1511...../

जबलपुर, दिनांक 28/02/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री पुहप सिंह उइके, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, यूनिफ कोड नं. 14107760, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हेमन्त जोशी)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)